

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांक: २०९/सो.आ.नि.- ३२२/२०१६
दिनांक: २० जून, २०१६

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
(मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, कासगंज, गजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषय: सोशल आडिट संगठन के अंतर्गत कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की संविदा का नवीकरण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन/उत्तर प्रदेश सोशल आडिट निदेशालय के नियंत्रणाधीन आपके जनपद में संविदा के आधार पर कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो चुकी है, की संविदा पूर्ववत् समान शर्तों पर 01 अप्रैल, 2016 से 31 जुलाई, 2016 तक के लिए एतद्वारा नवीकृत की जाती है। उक्त अवधि में ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को रु० 8000 प्रति माह व्यावसायिक शुल्क तथा रु०2000/- प्रति माह नियत यात्रा शुल्क अनुमन्य होगा।

2. ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों द्वारा संविदा के नवीकरण की उक्त अवधि में निदेशालय के पत्रांक 484/सो.आ.नि.-312/15, दिनांक 06.11.2015(प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित सम्यक आचरण, सत्यनिष्ठा, अनुशासन एवं कर्तव्यपालन के मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. कृपया तदनुसार संविदा अवधि के नवीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा ड्यूटी अवधि का व्यावसायिक शुल्क/नियत यात्रा शुल्क का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।

4. संविदा का यह नवीकरण मा० उच्च न्यायालय में दाखिल विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में किया जा रहा है तथा यह आदेश मा० न्यायालयों में विचाराधीन रिट याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

o/c

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

पत्रांक:- २०९ (1)/सो०आ०नि०- ३२२/२०१६, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
2. संबंधित जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।

o/c

(राजवर्धन)
निदेशक।

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 484/सो.आ.नि.-312/15
दिनांक: 06 नवम्बर, 2015

प्रेषक,
निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर तथा सोशल आडिट से सम्बद्ध व्यक्तियों का आचरण।

महोदय,

भारत सरकार तथा राज्य सरकार की अपेक्षानुसार सोशल आडिट कार्यक्रम को प्रभावी तथा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संविदा पर कार्यरत जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों तथा सोशल आडिट से सम्बद्ध अन्य सभी व्यक्तियों का व्यवहार एवं आचरण सत्यनिष्ठ तथा कर्तव्यपरायण होना चाहिए। यह प्रकाश में आया है कि कतिपय जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों तथा सोशल आडिट से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा जाने-अनजाने ऐसे आचरण का परिचय दिया जा रहा है जो स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

2- उक्त के दृष्टिगत संविदा पर कार्यरत जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों द्वारा निम्नांकित आचरण का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा:-

- (1) सभी जाति, पंथ या धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा अशुभ्यता का आचरण नहीं किया जाएगा।
- (2) कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादक पान से प्रभावित नहीं होगा तथा सार्वजनिक स्थानों में किसी मादक पान से अपने को विरत रखेगा।
- (3) किसी राजनीतिक दल अथवा किसी ऐसी संस्था, जो राजनीति में भाग लेती है, का न तो सदस्य होगा और न उससे सम्बन्ध रखेगा।
- (4) न तो हड़ताल करेगा और न ही हड़ताल करने के लिए उत्प्रेरित करेगा।
- (5) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मानजनक एवं मर्यादित आचरण तथा भाषा का प्रयोग करेगा एवं जन-सामान्य से शिष्ट व्यवहार करेगा।
- (6) किसी भी समाचार पत्र या नियतकालीन प्रकाशन के सम्पादन या प्रबन्धन में बिना निदेशक की लिखित पूर्वानुमति के सहभागिता नहीं की जाएगी। इसी प्रकार रेडियो प्रसारण, समाचार पत्र या पत्रिका में केवल साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक लेखों को छोड़कर निदेशालय अथवा शासन की आलोचनायुक्त अन्य प्रकार का प्रसारण/प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

- (7) किसी भी दशा में अथवा किसी भी रूप में संविदा पर कार्यरत जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों तथा सोशल आडिट से सम्बद्ध अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा शासन, शासकीय नीतियों एवं निदेशालय तथा उनके द्वारा जारी आदेशों की आलोचना एवं प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जाएगी।
- (8) संविदा पर कार्यरत जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों तथा सोशल आडिट से सम्बद्ध अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा कोई भी पत्र अथवा प्रत्यावेदन उचित माध्यम अर्थात् जिला विकास अधिकारी के माध्यम से ही निदेशक अथवा शासन को प्रेषित किया जाएगा।
- (9) शासन, निदेशक अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा सोशल आडिट के हित में समय-समय पर जारी आदेशों तथा निर्देशों का कर्तव्यनिष्ठा एवं योग्यतापूर्वक सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (10) आचरण के अन्य सामान्य मापदण्डों का अनुपालन भी किया जाना अनिवार्य होगा।

3- उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में होगा।

4- कृपया अपने जनपद में संविदा पर तैनात जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित सभी कर्मियों, जिन्हें फीस या मानदेय के रूप में कोई भुगतान किया जाता है, को उक्त से अवगत कराने एवं निर्देशित करने का कष्ट करें कि उनके द्वारा उक्तवत् सदैव अच्छे आचरण का परिचय दिया जाए तथा कदाचरण से बचा जाए।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, पदेन अध्यक्ष, सोशल आडिट संगठन, जनरल बॉडी / मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2- निजी सचिव, पदेन अध्यक्ष, सोशल आडिट संगठन, गवर्निंग बॉडी / मा0 कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजवर्धन)
निदेशक।